तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
11-2-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। तहसीलदार गंगापुर के यहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर बहस हेतु पत्रा० दि० 23-2-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23-2-17	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस पत्रावली दि० 1-3-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1-3-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। निर्णय हेतु पत्रावली दि० 14-3-17 को पेश हो।	
14-3-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। श्रीमान् S.D.O. सा० भ्रमण पर हैं। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-3-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
22-3-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-3-17 को पेश हो।	
30-3-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी	

SUSTAINABLE
TED FIBREBOARD HAS AN

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
169/2015	19.6.2015	15.3.2017

1. मोहम्मद सईद पुत्र अमरदीन, मुसलमान नि0 दशहरा मैदान गंगापुर सिटी
2. चांदमोहम्मद पुत्र नन्नूखां, मुसलमान निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी
3. लुकमान पुत्र शाहबुद्दीन, मुसलमान नि0 उस्मान कोलोनी गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. रामदुलारी बेवा जगन, महाजन निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
3. महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, मालवीय नगर, जयपुर
4. उप मुख्य इंजीनियर, उत्तर पश्चिम रेल्वे, हसनपुरा रोड, अस्पताल के पास, जयपुर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री आर0के0 मिश्रा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 3, 4 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरबो पत्नि प्रभू, शम्भू, रामचरण, विशन, शिवलाल पुत्रान प्रभू, द्रोपदी पुत्री प्रभु, केदार पुत्र कन्हैया जाति नाई निवासी खूंटला की खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 820/2 थी जिसके वर्तमान सेटिलमेंट में ख0नं0 1926/1669 रकबा 2.53 हैक्टर कायम किए गए हैं। उक्त भूमि को प्रार्थीगण ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2014 को क्रय कर लिया है लेकिन नक्शा ट्रेस में इस नम्बर की तरमीम नहीं की गई है बल्कि ख0नं0 1669 डाला गया है। यह साबिक ख0नं0 820/1 व 820/2 को मिलाकर बनाया है जबकि हाल जमाबंदी में साबिक ख0नं0 820/2 का नया नम्बर 1926/1669 दर्ज है लेकिन नक्शा ट्रेस में ख0नं0 1669 ही दर्ज है तथा नामान्तरकरण जो खोला गया था उसमें 1669/2 डाला गया है। प्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 820/2 से बने हाल खसरा नम्बर 1926/1669 को खरीदा गया है एवं हाल ट्रेस में साबिक ट्रेस ख0नं0 820/2 के अनुसार ही ख0नं0 1926/1669 की तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार गंगापुर

कलेक्टर

सिटी से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई जाकर हाल नक्शा ट्रेस में तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खानं0 820 मी रकबा 25 बीघा 2 विस्वा के नवीन नम्बर 1668 रकबा 0.06 है0 तथा गत ख0नं0 820 मी के नवीन नम्बर 1669 रकबा 6.37 है0 बने हैं। खानं0 1926/1669 रकबा 2.53 है0 मिलान क्षेत्रफल खतौनी में अंकित नहीं है। तस्मीन सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि, विक्रय पत्र आदि के बारे में अप्रार्थीगण का क्या सम्बन्ध है, स्पष्ट नहीं है। प्रार्थना पत्र को पढने से यह स्पष्ट नहीं है कि जबाब देहन्दा को इस प्रकरण में पक्षकार क्यों बनाया गया है तथा क्या वादकारण वादीगण को प्रतिवादी सं0 3, 4 के विरूद्ध उत्पन्न हुआ है। इस तरह के प्रार्थना पत्रों से रेलवे विभाग का समय व धन जाया हुआ है इसलिए प्रार्थीगण पर विशेष हर्जा खर्चा लगाया जावे एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 11.3.86, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल हाल नक्शा ट्रेस, नकल साबिक नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 12.12.14, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 पेश किए हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 30.6.2015, 4.1.2016, 11.2.2017 को प्राप्त हुई एवं ये रिपोर्ट पत्रावली में शामिल हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 1926/1669 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा गया है। इसका साबिक ख0नं0 820/2 रहा है। प्रार्थीगण द्वारा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

खरीद किए गए इस नम्बर की तरमीम नक्शा ट्रेस में नहीं है अतः हाल नक्शा ट्रेस में इसकी तरमीम करवाई जावे।

अप्रार्थी नं0 2, 3 के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2014 के अनुसार ख0नं0 1926/1669 रकबा 2.53 हैक्टर भूमि स्थित ग्राम खूंटलासलोना प्रार्थीगण द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई है जिसका अंकन नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 में है। इस खसरा नम्बर का वर्तमान ट्रेस में अंकन नहीं है बल्कि मूल ख0नं0 1669 का ही अंकन है। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 4.1.16 के अनुसार इस भूमि के साबिक ख0नं0 820, 820 ए रहे हैं जिनका रकबा 25 बीघा 2 विस्वा रहा है। साबिक ख0नं0 820, 820 ए का भू–प्रबन्ध में नवीन नम्बर 1668 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1669 रकबा 6.37 है0 बनाए हैं एवं ख0नं0 1669 रकबा 6.37 है0 में से 2.53 है0 की खातेदारी का इन्द्राज नामान्तरकरण सं0 5 दि0 11.3.86 द्वारा प्रभु, केदार पि0 कन्हैया नाई के नाम हुआ है। इसका ख0नं0 1926/1669 जमाबंदी में दर्ज हुआ परन्तु इस रकबे का मूल नम्बर 1669 के नक्शा ट्रेस में कहीं अंकन नहीं किया गया । नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 4.1.16 के साथ संलग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित ख0नं0 1926/1669 रकबा 2.53 हैक्टर के अनुसार अब प्रार्थी नक्शा ट्रेस में इसकी तरमीम कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 लै0रे0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 4.1.16 के साथ प्राप्त नजरी नक्शे के अनुसार ख0नं0 1926/1669 रकबा 2.53 हैक्टर ग्राम खूंटलासलोना का ख0नं0 1669 के नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार तरमीम हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी